

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

पालचण्ड

बनाम

लक्ष्मण

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 194/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>डालचण्ड</u></p> <p>पिता श्री <u>भवेर लाल डांगी</u></p> <p>निवासी- <u>गिलुण्ड</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>भरीयों का खेडा</u> स्थित <sup>सह</sup>खातेदारी की आराजी नम्बर <u>51 54</u></p> <p><u>57</u> <u>58</u> <u>60</u> <u>0.5200</u> <u>0.2800</u></p> <p><u>0.2900</u> <u>0.0500</u> <u>0.0400</u></p> <p>कुल कीता <u>5</u> कुल रकबा <u>1.1800</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के <sup>सह</sup>खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p><u>भरीयों का खेडा (प० ह० गिलुण्ड)</u></p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>भरीयों का खेडा</u> स्थित <sup>सह</sup>खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>51, 54, 57, 58, 60</u></p> <p><u>0.52</u> <u>0.28</u> <u>0.29</u> <u>0.05</u> <u>0.04</u></p> <p>कुल कीता <u>5</u> रकबा <u>1.1800</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000/-</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p><u>डालचण्ड खटीक</u> सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>